

**न्यायालय:-अमनदीपसिंह छाबडा,**  
**न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक-69 / 2014

संस्थित दिनांक-28.01.2014

फाई. क्र.234503001232014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर  
 जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — **अभियोजन**// **विरुद्ध** //

शंकर पिता बस्ताराम तेकाम, उम्र-22 वर्ष,  
 निवासी ग्राम सरेखा थाना बैहर जिला बालाघाट।

— — — — **आरोपी**// **निर्णय** //**(आज दिनांक 09/01/2018 को घोषित)**

**01—** अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-457, 323, 354 का आरोप है कि उसने घटना दिनांक 03.01.2014 को रात्रि के 09:30 बजे स्थान ग्राम सरेखा थाना बैहर अंतर्गत प्रार्थी के घर में सूर्योदय के पश्चात व सूर्योदय के पूर्व फरियादिया गंगोत्रीबाई की लज्जा भंग करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्री गृह भेदन कर फरियादिया गंगोत्रीबाई को उपहति कारित करने के आशय से लात से मारकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया तथा फरियादिया गंगोत्रीबाई की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से अपने हाथों से फरियादिया का मुँह एवं गला दबाकर हमला किया/आपराधिक बल का प्रयोग किया।

**02—** अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 04.01.14 को प्रार्थीयाँ गंगोत्रीबाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह मजदूरी करती है एवं उसका पति भदरू करीब एक माह पूर्व मजदूरी करने बेंगलूर गया है। घर में वह अपने तीन छोटे बच्चों के साथ रहती है। दिनांक 03.01.14 को रात्रि करीब 09:30 बजे पड़ौसी मुन्नीबाई ने आकर उसे बताई की उसके पति का फोन आया था। उसी समय गांव का शंकर गोंड उसके घर आया और बोला कि उसके मोबाईल से अपनी बात कर लो कहकर दारु मांगा और उसके

पति के पास फोन लगा दिया तो वह अपने पति से बात खत्म होने के बाद, शंकर अचानक उसका मुँह दबाने लगा। उसने छुड़ाने की कोशिश की तो दूसरे हाथ से उसका गला दबा दिया, तब उसने मुश्किल से अपने आप को छुड़ाकर बाहर निकलकर भागी और जयपाल के घर पहुँची तो शंकर उसे लात मारकर गिरा दिया, तब वह बचाव-बचाव चिल्लाई तो जयपाल, हरिसाव, कौशल्याबाई और अन्य लोग आ गये, जिन्हें देखकर शंकर भाग गया। यदि वह घर से नहीं भागती और चिल्लाती नहीं तो शंकर उसकी बेईज्जति कर देता। उक्त रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रार्थिया का मुलाहिजा कराया गया। घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया। प्रार्थिया एवं गवाहों के कथन लिये गये। आरोपी शंकर तेकाम को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र क्रमांक 07/14 तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया।

**03—** आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-457, 323, 354 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्त ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया।

**04—** प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है:-

1. क्या आरोपी ने घटना दिनांक 03.01.2014 को रात्रि के 09:30 बजे स्थान ग्राम सरेखा थाना बैहर अंतर्गत प्रार्थी के घर में सूर्योदय के पश्चात व सूर्योदय के पूर्व फरियादिया गंगोत्रीबाई की लज्जा भंग करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्री गृह भेदन किया ?
2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया गंगोत्रीबाई को उपहति कारित करने के आशय से लात से मारकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया ?

3. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादिया गंगोत्रीबाई की लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से अपने हाथों से फरियादिया का मुंह एवं गला दबाकर हमला किया/आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

—: विवेचना एवं निष्कर्ष :—

**विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 से 03**

सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए तीनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

**05—** साक्षी गंगोत्रीबाई अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपी शंकरलाल को जानती है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग एक साल पुरानी रात्रि के 09:30 बजे उसके घर ग्राम सरेखा की है। उसका पति भदरूलाल बेंगलोर गया था। उसके पति ने पड़ौसी को फोन लगाया। मुन्नीबाई से उसके पति की बात हो रही थी तो उसने बोली की उससे बात क्यों नहीं करवायी तो कहा कि सुबह बात कर लेना, तब वह अपने घर वापस आयी तो देखा कि उसके घर पर शंकर बैठा था और कहा कि चाची साईड वाले से क्या बात कर रही थी तो उसने बोली कि चाचा बेंगलोर से फोन लगाया था। आरोपी शंकर ने कहा कि उसके फोन से फोन लगा लो तो उसने कहा कि उसके पास पैसा नहीं है वह किसी के फोन से बात नहीं करती। फिर शंकर ने अपने फोन से बात करवाया और जैसे ही फोन से बात करना बंद किये, वैसे ही आरोपी शंकर ने उसका गला दबाया और उठाकर पटक दिया, जिससे एक थाली, लोटा और गिलास फूट गये। उसे पटकने के बाद उसके उपर कपड़े उतारकर सीने पर बैठ गया। वह पानी पीने का बहाना बनाकर भागने लगी तो उसे लात मार कर गिरा दिया, वह चिल्लाई तो जयपाल आया और उसके बाद गांव के लोग आये, जिन्हें घटना बतायी।

**06-** साक्षी गंगोत्रीबाई अ.सा.01 के अनुसार घटना की रिपोर्ट थाना बैहर में प्रपी-01 दर्ज की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसका मुलाहिजा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैहर में हुआ था। पुलिस ने मौके पर आकर प्रपी-02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि मुन्नीबाई ने उसके पति से बात नहीं करवायी, इसी कारण उससे विवाद हुआ था। उसके पति को बेंगलौर गये एक माह से अधिक समय हो गया था। उसके विरुद्ध शराब बनाने का केस पहले दर्ज हुआ था और न्यायालय से जुर्माना 600/- रुपये हुआ था। घटना के समय वह कच्ची शराब बेचने का काम करती थी। साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि आरोपी कच्ची शराब पीने उसके घर आया था, उसने आरोपी शंकर से कहा कि मुन्नीबाई ने उसके पति से बात नहीं करवायी वह अपने फोन से उसके पति से बात करा दे, किन्तु यह स्वीकार किया है कि आरोपी ने कहा कि यदि वह बेंगलौर बात करायेगा तो बहुत पैसा लगेगा। साक्षी के अनुसार उसने कहा कि सुबह बात कर लेना।

**07-** साक्षी गंगोत्रीबाई अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि आरोपी ने फोन से बात नहीं करवाया, इसलिये उसने आरोपी से झगड़ा की, उसके झगड़ा करने पर आरोपी शंकर उसके घर से चला गया। वह घटना की रिपोर्ट घटना के दूसरे दिन शाम के 05:00 बजे दर्ज करवायी थी। रिपोर्ट लिखाते समय उसने पुलिस को बता दी थी कि आरोपी ने उसका गला दबा कर पटक दिया था, जिससे थाली, लोटा एवं गिलास टूट गया और यह भी बता दी थी कि आरोपी कपड़े उतार कर उसके सीने में बैठ गया था, यदि उक्त बात उसके पुलिस कथन में न लिखी हो तो कारण नहीं बता सकती। जब आरोपी उसके सीने पर बैठ गया था तब उसने पानी का बहाना करके जयपाल के घर तरफ भागने लगी तो आरोपी भी निर्वस्त्र होकर उसके पीछे दौड़ा और उसे लात मारकर गिरा दिया

था, फिर उसने बचाव करके चिल्लाई तो आरोपी भाग गया था।

**08—** साक्षी गंगोत्रीबाई अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि आरोपी पुनः कपड़ा पहनने उसके घर आया था। आरोपी के छोड़े हुये कपड़े, उसकी चप्पल, टोपी इत्यादि सामान व टूटे हुये थाली, गिलास एवं लोटा पुलिस ने जप्त नहीं की थी। झारिया मुंशी ने कहा था कि उक्त सामान फेंक देना वह जप्ती नहीं बनाता। उसने पुलिस को रिपोर्ट करते समय व बयान लेते समय यह बता दी थी कि मुन्नीबाई से बात करते समय शंकर उसके घर में आकर बैठ गया था। ग्राम सरेखा से बेहर आने के लिए 7:00 बजे से बस प्रारंभ हो जाती है जो दोपहर तक 4-5 बजे आती है। उसने सुबह आकर रिपोर्ट दर्ज नहीं करवायी थी क्योंकि उसके छोटे बाल-बच्चे हैं, फिर शाम को वह बस से आकर 05:00 बजे रिपोर्ट दर्ज करवायी थी। यह अस्वीकार किया है कि रात में जब आरोपी ने उसे फोन से बात नहीं करवायी तो उसने गुस्से में आकर जयपाल से विचार-विमर्श कर आरोपी को झूठा फंसाने के लिए उसके विरुद्ध शाम को इस घटना की रिपोर्ट दर्ज करवायी।

**09—** साक्षी गंगोत्रीबाई अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि रात में उसके घर आकर आरोपी ने उसका गला नहीं दबाया और ना ही उसे पटका था, उसके पटकने से उसकी थाली, लोटा एवं गिलास नहीं फूटा था, आरोपी उसके उपर कपड़े उतार कर सीने पर नहीं बैठा था, आरोपी ने उसे जयपाल के घर के सामने लात मारकर नहीं गिराया था। उसे पैर के घुटने में चोटे आई थी। उक्त चोटें उसे गिरने से आयी थी। साक्षी ने इन सुझावों को भी अस्वीकार किया है कि वह शराब बेचती है, वह शराब पीती है, घटना दिनांक को शराब पीकर गिर गई थी और उसे चोट आयी थी। उसके घर से जयपाल का घर 25-30 कदम की दूरी पर है। जब जयपाल उसके पास आया था तब आरोपी वहाँ पर उपस्थित नहीं था चला गया था।



**10—** साक्षी गंगोत्रीबाई अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह अस्वीकार किया है कि घटना की शाम फोन से बात नहीं करवाने को लेकर मुन्नीबाई से उसका झगड़ा हुआ था और आरोपी ने बीच-बचाव किया था, जिस कारण उसने उसके विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई थी। उसने पुलिस को रिपोर्ट लिखाते समय यह बता दी थी कि वह पानी पीने का बहाना बनाकर अपने घर से भाग गई थी। यदि उक्त बातें उसके पुलिस रिपोर्ट व पुलिस बयान में नहीं लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकती। यह अस्वीकार किया है कि रात में आरोपी ने उसके साथ घटना नहीं की, इसलिए उसने दूसरे दिन सुबह रिपोर्ट नहीं लिखवायी थी। आरोपी शंकर उसके घर प्रायः आते रहता था। साक्षी के अनुसार उसी दिन आया था। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया कि वह कच्ची शराब बेचती है और शराब पीने बहुत से लोग आते हैं, कच्ची शराब बनाने का मामला उसके विरुद्ध 5-6 बार चला है, 5-6 बार उसका जुर्माना हुआ है, जयपाल से मिलकर आरोपी को झूठा फंसाने के उद्देश्य से आज वह सच बात नहीं बता रही है। घटना की रात वह अपने बड़ी सास कौशल्याबाई के घर सोई थी। सुबह पुलिस वाले जांच में जब घर आये तब वह दरवाजा खोलकर बाहर आई और घटना के बारे में उन्हें बतायी।

**11—** साक्षी भदरू अ.सा.02 ने कथन किया है वह आरोपी शंकर को जानता है। प्रार्थी उसकी पत्नि है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से एक साल पुरानी इसी समय की है। घटना के समय वह बेंगलौर में था। उसने मुन्नीबाई के फोन से फोन लगाया था तो मुन्नीबाई ने बोली थी कि वह उसकी पत्नि से सुबह बात करायेगी। फिर शंकर तेकाम ने अपने फोन से फोन लगाया और चाची से बात कर लो तो उसने कहा कि वह सुबह बात करेगा। फिर उसने सुबह बेंगलौर से अपनी पत्नि से बात करने के लिए कलमसिंह के फोन से फोन लगाया तो उसकी पत्नि ने बतायी कि मुँह, गला दबाया और पैर से लात मारकर गिरा दिया था तो उसने रिपोर्ट करने की सलाह दी एवं दो दिन बाद वह बेंगलौर से आया। पुलिस ने उससे पूछताछ

नहीं की थी और ना ही उसका बयान लिया था।

**12—** साक्षी भदरू अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि पुलिस को उसने प्रडी-01 का अ से अ का कथन नहीं दिया था। पुलिस ने ऐसा कथन कैसे लिख लिया कारण नहीं बता सकता। उसे जानकारी नहीं है कि उसकी पत्नि अवैध शराब बनाने का काम करती है। उसे जानकारी नहीं है कि अवैध शराब के मामले में उसकी पत्नि को जुर्माना हुआ है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसे लगाये फोन के बिल के पैसों को लेकर उसकी पत्नि व आरोपी का उस रात विवाद हुआ था। उसे नहीं मालूम कि उक्त को लेकर उसकी पत्नि व जयपाल ने विचार विमर्श कर झूठी रिपोर्ट आरोपी के विरुद्ध दर्ज करवाये थे। साक्षी के अनुसार वह बेंगलोर में था नहीं बता सकता। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसकी पत्नि शराब पीकर गिर गयी थी, इसलिए उसे चोट लगी थी। साक्षी के अनुसार आरोपी ने लात मारकर गिरा दिया था, इसलिए चोट लगी थी। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपी ने उसकी पत्नि का मुँह, गला नहीं दबाया था और ना ही उसे लात मार कर गिराया था।

**13—** साक्षी हरिलाल अ.सा.03 ने कथन किया है वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को नहीं जानता है। वह प्रार्थिया गंगोत्रीबाई को जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और ना ही उसने बयान दिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि दिनांक 03.01.14 की है, वह अपने घर में था, गंगोत्रीबाई की चिल्लाने की आवाज आई कि बचाओ-बचाओ, वह आवाज सुनकर घर के बाहर निकला था जब सड़क पर गंगोत्रीबाई और जयपाल और शंकर खड़े हुये थे, जब वह बाहर आया तो उसने देखा कि बहुत से लोग जमा हो गये थे।

**14—** साक्षी हरिलाल अ.सा.03 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि गंगोत्री ने उसे

घटना के बारे में बताया था, गंगोत्री ने आरोपी द्वारा बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ा था बताया था, जब वह हाथ छोड़ाकर भागी तब आरोपी ने उसे जयपाल के घर के सामने गिरा दिया था बताया था, जयपाल नहीं निकलता तो वह आज उसकी ईज्जत ले लेता वाली बात बतायी थी, जयपाल निकला था उस समय शंकर वहां से भाग गया था, गंगोत्रीबाई ने उसे बताया था कि आरोपी उसकी ईज्जत लेने की नियत से पकड़ने लगा था। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रपी.03 पुलिस को देने से इंकार किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि वह आरोपी से मिल गया है इसलिये न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि प्रपी-03 का कथन पुलिस ने कैसे लिख लिया वह कारण नहीं बता सकता, गंगोत्रीबाई उसके भतीजे की बहू है, गंगोत्रीबाई अवैध शराब बेचने का धंधा करती है। उसका नाम इस प्रकरण में कैसे आ गया नहीं मालूम।

**15—** साक्षी कलमसिंह अ.सा.04 ने कथन किया है वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को नहीं जानता है। वह प्रार्थिया गंगोत्रीबाई को भी नहीं जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान नहीं लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि दिनांक 03.01.14 को रात्रि 09:30 बजे की घटना है, वह अपने घर में था, गंगोत्रीबाई घर से चिल्लाते हुये आई कि देखो की आरोपी शंकर उसे झूमा-झपटी करके बेईज्जत करना चाहता है, जब वह घर से बाहर निकला था।

**16—** साक्षी कलमसिंह अ.सा.04 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को भी अस्वीकार किया है कि जब वह बाहर निकला तब जयपाल, शंकर को डाट-फटकार कर रहा था, आसपास के लोग जमा हो गये थे तब शंकर वहां से भाग गया था, जब उसने गंगोत्रीबाई से पूछा तो उसने बतायी थी कि जब वह अपने घर पर थी तब उसी समय



शंकर उसके घर पर आया और उसे झूमा-झपटी करने लगा, वह जयपाल को बताने जा रही थी, आरोपी ने गंगोत्रीबाई को झूमा-झपटी कर गिरा दिया था, गंगोत्रीबाई ने उसे बताया था कि शंकर ईज्जत लेने की नियत से उसके साथ झूमा-झपटी किया है। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रपी.04 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि वह आरोपी से मिल गया है, इसलिये न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि प्रपी.03 का कथन पुलिस ने कैसे लिख लिया वह कारण नहीं बता सकता, गंगोत्रीबाई उसके भतीजे की बहू है, गंगोत्रीबाई अवैध शराब बेचने का धंधा करती है। उसका नाम इस प्रकरण में कैसे आ गया नहीं मालूम।

**17—** साक्षी डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.06 ने कथन किया है वह दिनांक 04.01.2014 को सी.एच.सी बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बैहर से महिला आरक्षक श्रीमती शारदा क्रमांक 1187 द्वारा आहत श्रीमती गंगोत्रीबाई को लाने पर उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किया गया। उसने परीक्षण पर आहत के शरीर में मात्र एक चोट पाया था जो कि कंट्यूजन विथ एब्रेजन था, जो कि तीन चौथाई गुणा एक चौथाई लिये हुए था, जिसके मध्य भाग पर छोटे आकार की खरोंच होना पाया था। सूखा हुआ रक्त जमा हुआ था। उक्त चोट बांये पैर पर सामने के भाग पर होना पाया था। उसके मतानुसार उक्त चोट साधारण प्रकृति की थी, जो कि कड़ी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है जो उसके जांच के 12 से 24 घंटे के मध्य की थी। उसकी रिपोर्ट प्र.पी.07 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

**18—** साक्षी डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.06 ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि गंगोत्रीबाई को बांये पैर में चोट थी, जो घुटनों में नहीं थी। उक्त चोट बांये पैर के घुटने के नीचे अर्थात् पिंडली के विपरीत दिशा में हड्डी की ओर थी। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि आहत

गंगोत्रीबाई को आई चोट गिरने से आ सकती थी। उसके मतानुसार यदि आहत गंगोत्रीबाई यह बोल रही है कि उसे आई चोट गिरने से आई है तो वह गलत बोल रही है।

**19—** साक्षी रूपराम झारिया अ.सा.05 ने कथन किया है वह दिनांक 04.01.2014 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना प्रभारी द्वारा अपराध क्रमांक 04/14 की डायरी विवेचना हेतु दी गई थी। विवेचना के दौरान उसके द्वारा प्रार्थी गंगोत्रीबाई केतकी, गवाह भदरू केतकी, हरि साहू, कलमसिंह तिलगांम, जयपाल उइके, कौशल्याबाई साहू के कथन लेख किये गये थे। उसने प्रार्थिया की निशादेही पर घटनास्थल का मौका नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपी शंकर टेकाम को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.06 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

**20—** साक्षी रूपराम झारिया अ.सा.05 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि साक्षी कलमसिंह ने उसका बयान प्र.पी.04, साक्षी हरिलाल ने उसका प्र.पी.03 तथा साक्षी भदरू ने उसका बयान प्र.डी.01 के कथन उसे नहीं दिये थे और उसने उक्त कथन अपने मन से लेख किये थे। साक्षी गंगोत्रीबाई ने अपना बयान देते समय उसे यह नहीं बताई थी कि आरोपी ने उसका गला दबाकर पटक दिया था, जिससे थाली, लोटा एवं गिलास टूट गया था। गंगोत्रीबाई ने यह भी नहीं बताई थी कि आरोपी कपड़े उतारकर उसके सीने में बैठ गया था। यदि उक्त बातें गंगोत्रीबाई बताती तो वह अवश्य लेख करता। उसने गंगोत्रीबाई को विवेचना के दौरान ऐसा नहीं कहा था कि आरोपी के छोड़े हुए कपड़े, उसकी चप्पल, टोपी व टूटे हुए गिलास व लोटा फेंक देना वह जप्ती नहीं बनाता। साक्षी गंगोत्रीबाई ने अपने बयान के समय यह नहीं बताई थी कि वह पानी पीने का बहाना बनाकर अपने घर से भाग गई थी यदि उक्त बात

वह बताती तो वह अवश्य लेख करता।

**21—** साक्षी रूपराम झारिया अ.सा.05 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि विवेचना के दौरान यदि गंगोत्रीबाई यह बताती कि आरोपी के छोड़े हुए कपड़े, उसके चप्पल, उसकी टोपी पड़ी है तो वह उक्त सामानों की जप्ती अवश्य बनाता, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि साक्षी कौशल्याबाई एवं गंगोत्रीबाई का बयान उसने अपने मन से लेख किया था, कौशल्याबाई ने उसे कोई बयान नहीं दी थी, साक्षी जयपाल ने उसे विवेचना के दौरान कोई बयान नहीं दिया था, मामला बनाने की गरज से उसने उसका बयान अपने मन से लेख किया है, गंगोत्रीबाई ने प्र.पी.02 का मौका-नक्शा बनाते समय स्थान इत्यादि नहीं दिखाया था, प्र.पी.02 का मौका-नक्शा उसने अपने मन से बनाया था।

**22—** घटना के संबंध में केवल परिवादी गंगोत्री अ.सा.01 की साक्ष्य उपलब्ध है। अन्य किसी साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। उक्त साक्षी के कथनों का सूक्ष्मता से अवलोकन करने पर यह दर्शित है कि साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 के विपरीत नवीन कथन अपने न्यायालयीन परीक्षण में किये हैं, जिसकी पुष्टि हेतु कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। विवेचक साक्षी रूपराम झारिया अ.सा.05 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट रूप से कथन किये हैं कि परिवादी द्वारा उसे ऐसे कोई कथन नहीं किये गये थे, क्योंकि उक्त स्थिति में वह अवश्य उन कथनों का लेख करता और कथित सामग्री की जप्ती अवश्य बनाता। परिवादी के कथनों के विपरीत उसके पति भदरू अ.सा.02 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि फोन के बिल के पैसों को लेकर घटना की रात को उसकी पत्नि और आरोपी का विवाद हुआ था।

**23—** चिकित्सा साक्षी डॉ० एन.एस. कुमरे अ.सा.06 की साक्ष्य से घटना के समय परिवादी की चोटों की पुष्टि होती है, परंतु उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में आहत के गिरने से चोट आने के कथनों का खण्डन किया है। अभियोजन द्वारा घटना के महत्वपूर्ण साक्षी जयपाल का परीक्षण नहीं कराया

गया है तथा आरोपी के कपड़ों एवं अन्य सामग्री तथा घटना के दौरान थाली, लोटा, गिलास टूटने के संबंध में फरियादी के कथन अपुष्ट है। यद्यपि फोन के पैसों के विवाद में फरियादी द्वारा अपनी ईज्जत के संबंध में आरोपी के विरुद्ध मिथ्या लांछन के तर्क उचित प्रतीत नहीं होते, तथापि फरियादी के अपुष्ट कथनों में घटना के संबंध में महत्वपूर्ण विरोधाभासी तथ्यों से संपूर्ण घटना संदिग्ध प्रतीत होती है, जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

**24—** फलतः यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी के घर में सूर्योदय के पश्चात व सूर्योदय के पूर्व फरियादिया गंगोत्रीबाई की लज्जा भंग करने के आशय से प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न गृह अतिचार या रात्री गृह भेदन कर फरियादिया गंगोत्रीबाई को उपहति कारित करने के आशय से लात से मारकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित कर उसकी लज्जा भंग करने के आशय से बुरी नियत से अपने हाथों से फरियादिया का मुँह एवं गला दबाकर हमला किया/आपराधिक बल का प्रयोग किया। अतः अभियुक्त शंकर टेकाम को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-457, 323, 354 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

**25—** अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

**26—** अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रहा है, इस संबंध में धारा-428 जा0फौ0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

**27—** प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित।

सही/—

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी बैहर,  
जिला बालाघाट

सही/—

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी बैहर,  
जिला बालाघाट